न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

A.B.P. No-658/2026
Madhepura(Bharrahi) P.S. Case No.-70/2024

1. उमेश पासवान, उम्र करीब 65 वर्ष पिता– स्व0 जयनारायण पासवान
2. रंजीत पासवान, उम्र करीब 31 वर्ष पिता– उमेश पासवान
3. कुन्दन पासवान, उम्र करीब 26 वर्ष पिता– उमेश पासवान
4. शंकर कुमार, उम्र करीब 23 वर्ष पिता– उमेश पासवान
5. विकास कुमार, उम्र करीब 21 वर्ष पिता– उमेश पासवान
6. मीना देवी, उम्र करीब 61 वर्ष पति– उमेश पासवान
7. कल्पना देवी, उम्र करीब 26 वर्ष पति– रंजीत पासवान

(सभी साकिन –मधुबन , वार्ड नं0–01, थाना–भर्राही(ओ0पी0) एवं जिला– मधेपुरा।)

.....अभियुक्तगण।

बनाम्

बिहार सरकार .....विपक्षी।

18-07-2026

जमानत आवेदन अभियुक्तगण **उमेश पासवान, रंजीत पासवान, कुन्दन पासवान, शंकर कुमार, विकास कुमार, मीना देवी एवं कल्पना देवी** के द्वारा मधेपुरा(भर्राही) थाना कांड संख्या–70/2024 अन्तर्गत धाराऐं 341, 323, 324, 325, 379, 354(बी)/34 भा0 द0 वि0 में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किये जाने की संभावना से बचने हेतु दंड प्रकिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोतम प्रसाद यादव को दी जा चुकी है।

सूचिका थानाध्यक्ष मधेपुरा(भर्राही) के लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 11.01.2024 को समय करीब 03:00 बजे दिन में सूचिका के जमीन में उमेश पासवान, रंजीत पासवान, कुन्दन पासवान, शंकर कुमार, विकास कुमार, मीना देवी एवं कल्पना देवी लाठी, डंडा, खंती, दबिया, लोहे के रड से लैश होकर जन मजदूर के साथ घर चढाने लगा। उस समय उसका पुत्र सोनू कुमार ट्यूशन पढाकर घर आया और उनलोगो को घर चढाने से रोका तो वे लोग गाली–गलौज करने लगे तथा उमेश पासवान ने आदेश दिया कि मारो सालो को उनके आदेश पर कुन्दन कुमार जान मारने के नियत से खंती से तथा रंजीत पासवान दबिया से जान मारने के नियत से प्रहार किया, खंती सर पर लगा, सर फुल गया तथा हाथ से रोका तो दबिया दहिना हाथ पर लगा और गफा कट गया और खून बहने लगा। सूचिका अपने पुत्र वो पुत्री को बचाने गयी तो शंकर कुमार जाने मारने के नियत से लोहे के रड से सर पर प्रहार किया जिसे उसने हाथ से बचाव किया जिससे उसका दाहिना हाथ टुट गया तथा विकास कुमार लाठी से उसके सर पर प्रहार किया। लाठी लगने से सर फुल गया। उसे बचाने उसके देवर राजेश कुमार दौडकर गया तो उमेश पासवान ने जान मारने के नियत से खंती से प्रहार किया जो खंती सर पर लगा और सर कट गया तथा खून बहने लगा। कुन्दन कुमार झोटा पकडकर उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया जिससे वह

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

18-07-2026
गातार.....

बेनग्न हो गयी तथा मीना देवी एवं कल्पना देवी ऐड, मुक्का से मारपीट करने लगे तथा मारपीट के कम में मीना देवी कान से सोना का बाली वजन एक भर कीमत 60,000/– रूपया तथा कल्पना देवी पैर से चांदी का पायल वजन दस भर कीमत 5000/– रूपया का ले लिया तथा उसकी पुत्री प्रिति कुमारी के गले से सोने का चकती कीमत 7000/– रूपया का ले लिया तथा विकास कुमार ने यह चकती छीन लिया। सूचिका के ससुर जर्नादन पासवान जो पोलियो रोग से ग्रसित है, घर में बिछावन पर बैठा हुआ था, उमेश पासवान घर में घुस कर लोहे के रड से जान मारने के नियत से प्रहार किया जिससे उसके ससुर का सर कट गया और खून बहने लगा तथा अन्य लोग भी लाठी, डंडा से उसके ससुर पर जानलेवा प्रहार किया तथा उसकी गोतनी पूनम देवी को रंजीत कुमार झोटा पकड़कर उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे वह अर्द्धनग्न हो गयी। हल्ला पर अगल–बगल के बहुत से आदमी जुट गये और उनलोगो का जान बचाये। ग्रामीणों के सहयोग से सूचिका तथा उसके परिवार के सभी जख्मी को लेकर मधेपुरा अस्पताल आये जहां उनलोगो का ईलाज हुआ। सूचिका के फर्द बयान के आधार पर नामजद अभियुक्तगण के विरूद्व मधेपुरा(भर्राही) थाना कांड संख्या–70/2024 अन्तर्गत धाराऐं 341, 323, 324, 325, 379, 354(बी)/34 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी ।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री रितेश कुमार, के द्वारा यह अभिवाचित किया गया कि आवेदकगण की ओर से पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन संख्या I–374/2024 दाखिल किया था जिसे दिनांक 09.05.2025 को खारिज कर दिया गया इसके अलावा किसी भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन श्रीमान् के न्यायालय के समक्ष या माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है न खारिज हुआ है न कहीं लंबित ही है। आवेदकगण पुर्णतः निर्दोष है उसने कोई अपराध नही किया है। आवेदकगण को पुरानी दुश्मनी और भूमि विवाद के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण साधन संपन्न पुरूष और महिलाएं है और उन्हे फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय को संतोषप्रद एवं पर्याप्त राशि का बंध–पत्र एवं प्रतिभू दाखिल करने के लिए तैयार है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले सभी शर्तो को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाय।

विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोत्तम यादव द्वारा जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति किया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरांत मेरे द्वारा प्राथमिकी, फर्द बयान मुल अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। आवेदकगण प्राथमिकी का नामजद अभियुक्तगण हैं। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण पर जान मारने के नियत से लाठी, डंडा, खंती, दबिया, लोहे के रड से मारपीट करने एवं सोना का बाली वजन एक भर कीमत 60,000/– रूपया, चांदी का पायल वजन दस भर कीमत 5000/– रूपया एवं सोने का चकती

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

18-07-2026
लगातार.........

कीमत 7000/– रूपया का छिन लेने का आरोप है। उभयपक्षो के बीच सुलह समझौता हो गया है। सूचक एवं पीड़ित न्यायालय में उपस्थित होकर सुलह का समर्थन करते है। अभियुक्तगण स्वेच्छा से न्यायालय में आत्मसमर्पण किये है।

अतः वाद के उक्त सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामस्वरूप आवेदक अभियुक्तगण **उमेश पासवान, रंजीत पासवान, कुन्दन पासवान, शंकर कुमार, विकास कुमार, मीना देवी** एवं **कल्पना देवी** को गिरफ्तार अथवा आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर आत्म–समर्पण करने पर मो0 20,000/–रुपये के बंध–पत्र के दो समान राशि के प्रतिभू के साथ जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर एवं अधीनस्थ न्यायालय के संतुष्टि होने पर धारा 438(2) दंड प्रकिया संहिता के शर्तों के अधीन जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

Dictated

(Sanjeev Kumar-II)
District & Additional Sessions Judge-I
Madhepura